कार्यवाही

18/3/19 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.
पुनः बहस हेतु
पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते बहस
दिनांक 11/4/19 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

11/4/19 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाकंन करवाकर पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है। जो प्रार्थी को कानूनी हक व अधिकार है। इसलिये प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल० आर० एक्ट को स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझते है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल० आर० एक्ट को स्वीकार किया जाता है। यदि वादग्रस्त आराजी ख०न० 1, ख०न० 2, ख०न० 3 कुल रकबा 21.93 वाके ग्राम चक कुमावास पटवार क्षेत्र पिरासना तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर पर यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो तहसीलदार जमवारामगढ़ को निर्देश दिये जाते है कि वे वादांकित भूमि को चारो तरफ सीमाचिन्ह अंकित कर पत्थरगढ़ी करना सुनिश्चित करें।

पत्रावली कैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2020.02.24 13:56:46 IST
Reason: SelfAttested